राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी–राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.)

करण संख्या– 10/2017 दायर दिनांक–16.12.2017

निर्णय दिनांक–11-07-2017

श्रीमति देवली पत्नी श्री स्व0 दौला कटारा मीणा, उम्र 71 वर्ष निवासी तीजवड थाना सदर तहसील व जिला डूंगरपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री हुरजी पिता दौला मीणा उम्र 66 वर्ष निवासी सरकण कोपचा थाना सदर तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती हकरी पत्नि हुरजी जाति मीणा उम्र 60 वर्ष निवासी सरकण कोपचा थाना सदर तहसील व जिला डूंगरपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, डूंगरपुर

विपक्षीगण.....

अपील अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत मिसल नंबर 73/2016 की ग्राम चक सरकण कोपचा–II की आ.नं.77 में रकबा 0.80 है0 किये गये भूमि आवंटन को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित:– 1. श्री हितेन्द्र पटेल एडवोकेट – प्रार्थी

2. श्री लक्ष्मणसिंह साबली एडवोकेट – विपक्षी

–: निर्णय :–

यह अपील प्रार्थी की ओर से विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय की प्रस्तुत की है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने मिसल नम्बर 73/2016 ग्राम चक सरकण कोपचा II की आ.न. 77 में से 0–80 हैक्टर कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन से असन्तुष्ट होकर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के तहत निरस्त कराने हेतु पेश की है।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या– 1 व 2 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने ग्राम चक सरकण कोपचा की आ.नं. 77 में 0–80 हैक्टर बिना किसी कब्जे के आधार पर विधि विरुद्ध आवंटन किया है। विपक्षी संख्या–1 व 2 की कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर प्रार्थीया का विगत 40 वर्षों से कब्जा है तथा प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि पर बाड लगा नियमित रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रार्थीया का वर्तमान में भी विवेचित भूमि पर कब्जा है। विपक्षी संख्या–1 व 2 पूर्णतया: भूमिहीन व्यक्ति नहीं है तथा न ही मौके पर विवेचित भूमि पर कब्जा है। विपक्षी संख्या–1 व 2 उक्त भूमि के आस–पास रहवासी नहीं है। विपक्षी संख्या–1 व 2 द्वारा पूर्णरूप से मिलीभगत कर विवेचित भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन कराया है। विपक्षी संख्या–1 व 2 का उक्त विवेचित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी ने अपील मीमो में यह भी अंकित किया है कि उक्त विवेचित भूमि की पटवारी हल्का की मौके की रिपोर्ट तलब नहीं की गई तथा बिना किसी कब्जे के केवल बिलानाम भूमि होने के आधार पर

आवंटन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर को दिनांक 01.09.2016 को विवेचित भूमि पर उनका भी बराबर हिस्से पर कब्जा है, किन्तु विपक्षी हुरजी को अकेले आवंटित कर देने से भूमि आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थना–पत्र पेश किया था। उक्त प्रार्थना–पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार प्रार्थी के कब्जे की भूमि को विपक्षी संख्या–1 व 2 को बिना कब्जे की मौका जांच किये, आवंटन के तथ्यों को छुपाकर मिलीभगत से वास्तविक स्थिति की जानकारी के अभाव में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध हो निरस्त कराने का प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है।

अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया जो संलग्न पत्रावली है। प्रकरण में वकील पक्षकारों की बहस समायत की गई। वकील प्रार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को एवं वकील विपक्षी ने जबाव तथ्यों को दोहराया।

वकील प्रार्थीया ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि ग्राम चक सरकणप कोपचा की आ.नं. 77 में रकबा 0–80 हैक्टर भूमि पर विगत 40 वर्षो से उनका कब्जा है। विवेचित भूमि पर नियमित काश्त कब्जा है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त आवंटित भूमि का भौतिक सत्यापन नहीं किया है तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा विवेचित भूमि की मौका की जांच का सत्यापन करे कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया जाना विधि विरूद्ध है। विपक्षी संख्या– 1 व 2 ने भूमि आवंटन के तथ्यों को छिपाकर तथा मिलीभगत कर भूमि आवंटन कराना नियम विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तथ्य प्रकट किये कि विवेचित आराजी के प्रस्तुत फोटोग्राफ तथ्यों के आधार पर वकील प्रार्थीया ने ग्राम चक सरकण कोपचा की आ.नं. 77 में से 0–80 हैक्टर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन विधि विरूद्ध हो त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अभिभाषक विपक्षी ने कथन किया कि विपक्षी संख्या–1 व 2 को ग्राम चक सरकण कोपचा की आ.नं. 77 में से 0–80 हैक्टर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियामान्तर्गत भूमि आवंटन आवेदन, पटवारी/तहसीलदार की जांच रिपोर्ट का अवलोकन कर मजमे आम में किसी की आप्पती नहीं होने से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया है। प्रार्थीया द्वारा उक्त विपक्षी संख्या– 1 व 2 को आवंटित भूमि पर कब्जा होने के तथ्य मिथ्या एवं बनावटी है। प्रार्थीया की ओर से विवेचित भूमि पर कब्जा होने के प्रमाण स्वरूप केवल फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है जो प्रमाणिकता का आधार नही है। वकील प्रार्थी द्वारा विवेचित भूमि के फोटोग्राफ पेश किये उसका सत्यापन नहीं होने से विश्वसनीय नहीं माना जावेगा। प्रार्थीया का विवेचित भूमि पर कब्जा प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है।

प्रार्थीया द्वारा उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर को दिनांक 04.09.2016 को विवेचित भूमि के हिस्से पर उनका कब्जा था तथा इस कारण, विपक्षी संख्या– 1 व 2 को किये गये कृषि भूमि आवंटन को निरस्त कराने का पेश किया। प्रार्थीया को विवेचित भूमि आवंटन की जानकारी तत्समय हो चुकी थी किन्तु उनके द्वारा बनावट झूठे तथ्यों के आधार पर एक वर्ष से अधिक अवधि से आवंटन निरस्ती का प्रार्थना–पत्र पेश करना कुटिलता को दर्शाता है। उक्त तथ्यों की

आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र निरस्त कर विपक्षी संख्या–1 व 2 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन यथावत रखने वकील विपक्षी ने अनुरोध किया।

हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 19.07.2016 को केम्प आसेला में ग्राम चक सरकाण फोपचा–II की आ.नं. 4, रकबा 2.51 हैक्टर में से 0.36 हैक्टर, आ.नं. 51 रकबा 0.06 हैक्टर में से 0.04 है, आ.नं. 52 रकबा 0.40 हैक्टर में 0.06 हैक्टर, आ.नं. 53 रकबा 0.03 हैक्टर में 0.03, आ.नं. 54 रकबा 1.01 हैक्टर में से 0.90 हैक्टर, आ.नं. 56 रकबा 0.04 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर, आ.नं. 56 रकबा 0.10 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर आ.नं. 75 रकबा 0.16 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर व आ.नं. 77 में से 0.80 हैक्टर कुल रकबा 2.47 हैक्टर कृषि प्रयोजनार्थ विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि आवंटन किया जाना प्रमाणित है। प्रार्थीया द्वारा उपर्युक्त कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन में से आ.नं. 77 में 0.80 हैक्टर भूमि आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। विपक्षी को शेष आराजीयात में किये गये भूमि आवंटन बाबत दाद नहीं चाही है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख की रिपोर्ट में विवेचित आ.नं. 77 में से 0.80 हैक्टर विपक्षी संख्या–1 व 2 को भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित नही की है, जबकि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवेचित आराजी नम्बर 77 में से 0.80 हैक्टर विपक्षी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया गया है जो सर्वथा विधि विरूद्व है। उक्त स्थिति को स्पष्ट करने हेतु उपखण्ड कार्यालय की भूमि आवंटन की मूल पत्रावली तलब कर प्रमाणित प्रति पुनः ली गई। मूल भूमि आवंटन पत्रावली एवं उपखण्ड कार्यालय डूंगरपुर द्वारा प्रेषित प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विवेचित आराजी नम्बर 77 में से 0.802 हैक्टर विपक्षी संख्या– 1 व 2 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया जाना सही पाया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रेषित भूमि आवंटन की पत्रावली की छाया प्रति पेश की है जिसमें आ.नं. 77 का उल्लेख मिसल के किनारे पर अंकित होने से छाया प्रति में नहीं छपना पाया गया है। उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देते समय उक्त स्थिति का पूर्ण ध्यान देकर दस्तावेज पूर्ण होने की सन्तुष्टि सुनिश्चित करें। वकील प्रार्थी ने अपने कथन व अपील मीमों के तथ्यों के सन्दर्भ में 40 वर्ष पूर्व उनका कब्जा होने, बाड लगाकर कब्जा काश्त होने बाबत किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये है, जिससे विपक्षी संख्या– 1 व 2 को भूमि आवंटन करने से पूर्व प्रार्थीया का विवेचित भूमि पर कब्जा काश्त होना प्रमाणित हो सके। जहां तक प्रार्थीया द्वारा विवेचित भूमि के कब्जे स्वरूप फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है जो इसी विवेचित भूमि के होने के सत्यापन के अभाव में कब्जे की पुष्टि माना जाना न्यायोचित नहीं है।

वकील विपक्षी द्वारा भी फोटोग्राफ को सत्यापन के अभाव में प्रार्थी का विवेचित भूमि पर विपक्षी को आवंटन करने के पूर्व का कब्जा होने का खण्डन किया गया है। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी को भूमि आवंटन किया जाने के पूर्व विवेचित भूमि पर कब्जा प्रमाणित करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर मात्र विवेचित भूमि का आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थना–पत्र कल्पनीय होकर विश्वसनीय आधारहीन पाया जाता है। प्रार्थीया द्वारा भूमि आवंटन तथ्यों को छिपा कर,

9·5/13 27-12-17

मिलीभगत कर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन कराने के तथ्यों की भी पुष्टि में किसी प्रकार के साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे प्रार्थीया का तर्क सारहीन पाया जाता है। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि की जारी उद्घोषणा के आधार पर नियमानुसार मजमे आम में किसी की आपत्ती नहीं होने से विपक्षी संख्या–1 व 2 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन किया जाना विधि अनुरूप होने से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई। प्रार्थीया द्वारा प्रेषित अपील तथ्यहीन व सारहीन होने तथा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। प्रार्थीया की अपील निरस्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया की अपील तथ्यहीन एवं सारहीन होने से निरस्त (खारीज) की जाती है। विपक्षी संख्या– 1 व 2 को किया गया भूमि आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11·07·2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)